राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 2066/2025

प्रियंका **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक अराजपत्रित, एवं अति0 निदेशक प्रशासन, पंचायतीराज चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तारपुरा जिला सीकर।
4. शिमला कुमारी, नर्सिंग ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तारपुरा, जिला सीकर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.02.2025
आदेश की दिनांक : 07.03.2025
उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तारपुरा, ब्लॉक पिपराली, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर किया गया है। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 20.01.2025 (अनुलग्नक—2) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। उक्त आलौच्य आदेश बिना प्रशासनिक आवश्यकता के निजी प्रत्यर्थी संख्या—4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 450 कि.मी. स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी महिला कार्मिक है। अपीलार्थी परिवार में एकमात्र महिला जिम्मेदार सदस्य है। माननीय उच्च न्यायालय ने डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश में किसी कार्मिक का समंजित करने के आशय से जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश को अनुचित एवं अवैध माना है। अपीलार्थी की वृद्ध सास न्यूरों

की बीमारी से पीड़ित है, जिसका निरन्तर उपचार चल रहा है। अपीलार्थी के ससुर का निधन हो चुका है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 20.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 20.01.2025 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तारपुरा, ब्लॉक पिपराली, सीकर से महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने का प्रश्न है **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। प्रकरण के तथ्यों से निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्‌देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। अपीलार्थी अपनी पारिवारिक परिस्थिति के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

आलौच्य आदेश में कोई दुर्भावना निहित होना या नियम विरूद्धता होना नहीं पाये जाने के कारण अपील अपीलार्थी इसी प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य